

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 472]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2014—आश्विन 12, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2014

फा. क्र. 17(ई)-95-2002-इक्कीस-ब(एक).—कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 9 में, उपनियम (2) में,—

- (एक) शब्द, अंक एवं कोष्ठक “रुपये 150/- (एक सौ पचास रुपये)” के स्थान पर शब्द, अंक एवं कोष्ठक “रुपये 180/- (एक सौ अस्सी रुपये)” स्थापित किए जाएं;
- (दो) शब्द, अंक एवं कोष्ठक “रुपये 600/- (छह सौ रुपये)” के स्थान पर शब्द, अंक एवं कोष्ठक “रुपये 720/- (सात सौ बीस रुपये)” स्थापित किए जाएं;

F. No. 17(E)-95-2002-XXI-B (One).—In exercise of the power conferred by Section 23 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Family Courts Rules, 2002, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 9, in sub-rule (2),—

- (i) for the words, figure and brackets “Rs. 150/- (Rupees One Hundred Fifty)”, the words figure and brackets “Rs. 180/- (Rupees One Hundred Eighty)”, shall be substituted;
- (ii) for the words, figure and brackets “Rs. 600/- (Rupees Six Hundred)”, the words figure and brackets “Rs. 720/- (Rupees Seven Hundred Twenty)”, shall be substituted;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.